न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
बी0पी0– 230 / 2026
(चण्डी थाना कांड संख्या– 150 / 2025)

अवधेश कुमार बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
08.06.2026	दिनांक– 22.02.2026 से काराधीन अभियुक्त अवधेश कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन पत्र जो बी0एन0एस0 की धारा– 109(1) एवं 27 आर्म्स ऐक्ट के तहत चण्डी थाना कांड संख्या– 150 / 2025 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध उपर के किसी भी न्यायालय में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया और न लंबित है। प्रार्थी के विरूद्ध अस्थावां थाना काण्ड सं0– 61 / 2026 एक अतिरिक्त मुकदमा है। प्रार्थी का नियमित जमानत आवेदन दिनांक 23.03.2026 को ए0सी0जे0एम0–1 हिलसा के न्यायालय से अस्वीकृत किया जा चुका है। प्रार्थी निर्दोष है तथा कोई घटना नहीं किया है। प्राथमिकी में कहीं भी जानबूझकर किए गए हमले का आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए धारा– 109 लागू नहीं होती है। आवेदक पर नाबालिग बच्चे की जान लेने का कोई ज़िक्र नहीं है। इसके लिए पीड़िता के रिश्तेदार ने आवेदक के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस को जानकारी का सोर्स प्राथमिकी में नहीं बताया गया है और पुलिस वहाँ मौजूद नहीं थी। आवेदक उचित जमानतदार देने को तैयार है एवं उसे भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा सुचक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। जमानत के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि स0अ0नि सतीश कुमार सिंह दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 23:00 बजे रात्रि में सशस्त्र बल के साथ रात्रि गश्ती में थाना से प्रस्थान किये थे। गस्ती के क्रम में सुचना मिली की ग्राम दयालपुर में बारात लगने के क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग किया गया है सिमें मदु रविदास की बेटी के पैर में गोली लग गयी है। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सशस्त्र बल के साथ ग्राम दयालपुर पहुँचकर सत्यापन किया तो ज्ञात हुआ कि पप्पु रविदास के पुत्री के बारात द्वार पर लगने के क्रम में दुल्हा के फुफेरा भाई अवधेश कुमार के द्वारा फायरिंग किया गया है तथा मदु रविदास की पुत्री शिवानी कुमारी जो पास में ही खड़ी थी के पैर में गोली लग गयी है। जिसे परिजनों के द्वारा रेफरल अस्पताल चंडी में ईलाज कराया जा रहा है। आगे पता चला कि गोली चलाने वाले व्यक्ति अवधेष कुमार एवं मदु रविदास दोनों आपस में रिश्तेदार हैं जिस कारण मदु रविदस केस करना नहीं चाहते हैं। प्राथमिकी कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी के पारा 54 के अनुसार इस केस के बाद एक अन्य केस दर्ज हुआ है। आवेदक अवधेश कुमार द्वारा बताया गया कि गोलियां जश्न में चलाई गई थीं। बाएं टखने में मामूली चोट पाई गई है। आरोप–पत्र	

लगातार...

समर्पित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन को **स्वीकृत** करते हुए रू0–10,000/– (दस हजार) तथा इतने ही समान धन राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंधपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	08.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	10.06.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENOGRAPHER)